†ध्याय-17
श्रम सांि ?य ^ ी

श्रम ब्यूरो ^\ ^ ार्य एवं सं ॆ ाठाात्म ^ ढ़ांचा

17.1 1946 में अपाी स्थापाा से ही श्रम ब्यूरो श्रम ^\ विभिन्न पहलुओं पर श्रम आं ^ ड़ों ^\ सं ॆ ग्रह ✓ ा, सं ^ ला,विश्लेष ✓ ा तथा वितर ✓ ा में ^ ार्यरत है । ये आं ^ ड़े श्रम बल ^\ विभिन्न ? ा ✓› ों ^\ ^ ल्या ✓ ा हेतु उचित ाीतियाँ बााो तथा ाा ^ ी स्थितियों ^\ सुधार हेतु उचित उपाय सुझााो में सहायता प्रदाा ^ रते हैं । श्रम ^\ विभिन्न -ाीति विषयों पर ाि ✓ र्य लेाा सु ॆ ाम बााते हैं । ब्यूरो ^\ मु ? य ^ ार्य इस प्र ^ ार हैं :-

(i) मजदूरी दर सूच ^ ां ^ ^\ अतिरिक्त औद्योि ॆ ा ^ श्रमि ^ ों तथा ? ोतिहर/ॆ ग्रामी ✓ ा श्रमि ^ ों ^\ उपभोक्ता सूच ^ ां ^ ^ ा सं ^ ला एवं र ? ा-र ? ााव ।

(ii) सं ॆ ाठित तथा असं ॆ ाठित ƒ ोत्र में श्रम संबंधी विषयों ^\ साथ-साथ अ-ाुसूचित जाति/आुसूचित जााजाति श्रमि ^ ों, महिला श्रमि ^ ों, ठे ^ ा श्रमि ^ ों आदि पर आुसंधाा अध्ययाा एवं सर्वे ƒ ा ✓ ा आयोजित ^ राा ।

(iii) विभिन्न श्रम अधिाियमों ^\ तहत प्राप्त संवैधाािा ^ तथा सवैच्छि ^ विवर ✓ ाि ✓ ायों ^\ आधार पर तथा आयोजित सर्वे ƒ ा ✓ ाों द्वारा श्रम ^\ विभिन्न पहलुओं जैसे ाियोजा, मजदूरी एवं उपार्जाा, आुपस्थिति, श्रम आवर्त्त, सामाजि ^ सुर ƒ ाा, ^ ल्या ✓ ा सुविधाओं, औद्योि ॆ ा ^ संबंधों आदि पर संि ? य ^ ीय सूचाा ^ ा सं ॆ ग्रह ✓ ा, सं ^ ला तथा वितर ✓ ा ।

(iv) राज्य/संघ शासित प्रदेश ^\ श्रम सांि ? य ^ ीय ^ र्मचारियों तथा विभिन्न राज्य और ^\ द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित प्रशि ƒ ा ✓ ाार्थियों ^ ो प्रशि ƒ ा ✓ ा प्रदाा ^ राा।

(v) श्रम ब्यूरो ^\ दो मु ? य ₹ ^ ध च ✓› ी ॆ ाढ़ तथा शिमला में स्थित हैं । अहमदाबाद, ^ ोल ^ ाता,चेन्नई तथा ^ ाापुर में इस ^\ चार ƒ ोत्रीय ^ ार्याय तथा मुंबई में ए ^ उप ƒ ोत्रीय ^ ार्यालय है।

ब्यूरो ^\ मु ? य ^ ार्य तथा उपलब्धियों

(i) उपभोक्ता मूल्य सूच ^ ां ^

17.3 ब्यूरो द्वारा ाियमित आधार पर सं ^ लित तथा र ? ा-र ? ााव ि^ ए जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूसच ^ ां ^ ^ ा विवर ✓ ा इस प्र ^ ार हैं :-

(^) औद्योि ॆ ा ^ श्रमि ^ ों ^ ा उपभोक्ता मूल्य सूच ^ ां ^

(i) वर्तमाा ऋृं ? ाला (आधार 1982=100)

17.4 औद्योि ॆ ा ^ श्रमि ^ ों ^ ा उपभोक्ता मूल्य सूच ^ ां ^ आधार अवधि ^\ संबंध में श्रमि ^ व ॆ ी जासं ? या द्वारा उपभो ॆ ा ^ ी ॆ ाई वस्तुओं तथा सेवाओं की ाि‌श्चित बास्केट के खुदरा मूल्यों में समयोपरि सापेक्ष परिवर्ताों को मापता है । ाा सूचकांकों का प्रयोग फुटकर मूल्यों में परिवर्ताा दशााे के लिए ही ाहीं बल्कि सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते ^\ ाािर्धार ✓ ा तथा अर्थव्यवस्था ^\ सं ॆ ाठित तथा असं ॆ ाठित ƒ ोत्रों ^\ ^ र्मचारियों ^ ी मजदूरी ाि-र्धार ✓ ा में भी ि^ या जाता है ।

17.5 औद्योि ॆ ा ^ श्रमि ^ ों ^ ा उपभोक्ता मूल्य सूच ^ ां ^ (आधार 1982=100) 70 ^\ द्रों

तथा अखिल भारतीय स्तर के लिए 4 सप्ताह के समय अंतराल से प्रति माह संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है । राज्यों के अनुरोध पर भी छः अतिरिक्त केंद्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक) संकलित किया जाता है । सूचकांक को ब्यूरो की वैबसाइट पर डालने के अतिरिक्त ब्यूरो के मासिक जर्नल "इंडियन लेबर जर्नल" में प्रकाशित किया जाता है । मासिक सूचकांकों तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक में मूल्यवृद्धि की दर को तालिका 17.1 में दर्शाया गया है ।

(ii) नई श्रृंखला (आधार 2001=100)

17.6 स्कीम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की वर्तमान श्रृंखला (1982=100) से वर्तमान अवधि तक अर्थात कलैंडर वर्ष 2001 के आधार वर्ष का अद्यतन करना है। इस संशोधन के लिए दो आवश्यक घटक इस प्रकार हैं :-

(i) लक्षित जनसंख्या अर्थात् नियोजन के सात क्षेत्रों, जिनमें कारखानों, खान, बागान, बंदरगाह एवं गोदी, सार्वजनिक क्षेत्र के मोटर उपक्रम, बिजली का उत्पादन एवं वितरण और रेलवे में औद्योगिक श्रमिकों, का वर्ष 1999-2000 में आयोजित श्रमिक वर्ग पारिवारिक आय एवं व्यय के नए सर्वेक्षण द्वारा दिए परिणामों के आधार पर भारण-आरेखन का अद्यतन ।

(ii) नई मूल्य संग्रहण मशीनरी की स्थापना द्वारा आधार वर्ष मूल्यों का अद्यतन जिसमें बाजारों का चयन, दुकानों का चयन, मदों के विवरण/किस्मों, मूल्य संग्राहकों, मूल्य पर्यवेक्षकों तथा मूल्य समन्वयकों तथा मूल्य संग्रहण का दिवस का निर्धारण सम्मिलित है ।

17.7 सभी 78 केंद्रों के लिए आयोजित आय एवं व्यय पर मुख्य सर्वेक्षण के आधार पर भारण आरेखन तैयार करने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। क्षेत्रीय कम्प्यूटर केंद्र चण्डीगढ़ द्वारा विकसित साफ्टवेयर का प्रयोग करके सभी 78 केंद्रों का अंतिम माहवार सूचकांक अक्तूबर, 2005 तक संकलित कर लिया गया है । सूचकांक के संकलन में प्रयोग करने के लिए अनुवर्ती माह अर्थात् दिसम्बर, 2005 के पश्चात् के खुदरा मूल्य आंकड़ों का एकत्रण, प्रविष्टि तथा संवीक्षा की जा रही है । मकान किराया पुनर्सर्वेक्षण के आठवें दौर का फील्ड कार्य तथा अनुवर्ती माह के सूचकांकों का संकलन प्रगति पर है । पाठ तालिकाओं को तैयार करने के साथ-2 सभी 78 केंद्रों के लिए विनिर्दिष्ट केंद्रों की रिपोर्ट और अखिल भारतीय सामान्य रिपोर्ट के मसौदे से संबंधित कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

17.8 सी.पी.आई (आई डब्ल्यू) आधार के अद्यतीकरण का कार्य संबंधी तकनीकी ब्यौरे को जीवनस्तर मूल्य और लागत संख्यकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने अनुमोदन प्रदान किया है । नई श्रृंखला पुरानी से बेहतर है और इसमें औद्योगिक श्रमिकों की नवीनतम उपभोग पद्धतियों का अधिक प्रतिनिधित्व है । परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण के लिए नमूना आधार को 32616 से बढ़ाकर 41040 कर दिया गया है । साथ ही, 2001 श्रृंखला में कुल 78 केंद्रों को शामिल किया गया है जबकि मौजूदा श्रृंखला में केवल 70 केंद्र शामिल थे । पूर्ववर्ती श्रृंखला में बाजारों की संख्या 226 थी जिसे बढ़ाकर 289 कर दिया गया है । उपभोग्य वस्तुओं की सूची में अब 370 मदें हैं जो 1982 श्रृंखला में 260 थी ।

17.9 सी.पी.आई-आई डब्ल्यू (आधार 2001-100) की नई श्रृंखला जारी करने के संबंध में श्रम और रोजगार सचिव की अध्यक्षता में 19-20 मई, 2005 को शिमला में त्रिपक्षीय मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सूचकांक प्रयोक्ता बैठक

आयोजित की गई। त्रिपक्षीय बैठक की चर्चाओं में केंद्र/ राज्य मंत्रालय/विभागों, नियोक्ता संगठनों तथा केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। नियोक्ता संगठनों, केंद्रीय व राज्य सरकारों, आर.बी.आई. आदि के प्रतिनिधियों ने सी.पी.आई-आई. डब्ल्यू (आधार 2001=100) की नई श्रृंखला तत्काल जारी करने की आवश्यकता बताई। केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने नई श्रृंखला लाने के लिए श्रम ब्यूरो और एसपीसीएल संबंधी टीएसी के प्रयासों की सराहना की। किंतु वे चाहते थे कि इस टीएसी में नियोक्ता संगठनों के साथ-साथ उनकी भागीदारी भी ली जाए और आधार के अद्यतीकरण कार्य के दौरान प्रयोक्ताओं की अवधिक संलगता के लिए उपयुक्त तंत्र भी विकसित किया जाए।

17.10 राष्ट्रीय स्तर सूचकांक उपभोक्ताओं की बैठक की आवर्ती कार्रवाई के रूप में सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में दिनांक **9.9.2005** को श्रम और रोजगार मंत्रालय में केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। यह निर्णय लिया गया था कि केंद्रीय श्रमिक संघों और नियोजकों के संघों के सदस्यों से पुनर्गठित मूल्यों तथा लागत आंकड़ों पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया जाए ताकि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 2001=100) की नई श्रृंखला को जारी करने पर विचार किया जा सके।

17.11 सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में दिनांक **22.10.2005** को श्रम ब्यूरो, शिमला में आयोजित बैठक की कार्यवाही के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक दस वर्षों में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार में संशोधन के प्रतिमानों पर दृढ़ रहने के उद्देश्य से 2011=100 आधार के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

17.12 **20** राज्यों तथा अखिल भारत के लिए आधार **1986-87=100** पर ग्रामीण श्रमिकों तथा इस के उप समूह खेतिहर श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मासिक आधार पर संकलित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, **1948** के तहत कृषि में नियोजनों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी के संशोधन तथा निर्धारण हेतु इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। खेतिहर श्रमिकों के सूचकांक तथा मूल्य वृद्धि में वार्षिक दर को तालिका **17.2** में दर्शाया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण **(2004-2005)** के **61**वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के आधार पर भारण आरेख तैयार करने का कार्य प्रगति पर है और सी.पी.आई/आर.एल.की नई श्रृंखला के लिए आधार के उत्तरवर्ती संशोधन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(ग) शहरी क्षेत्रों में 31 आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक

17.13 शहरी क्षेत्रों में 31 चयनित वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक आधार 1982=100 के साथ प्रतिमाह संकलित किया जाता है। इन सूचकांकों का संकलन चयनित वस्तुओं के मूल्यों में अस्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से किया जाता है तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को इन वस्तुओं के मूल्य का सरकार द्वारा पीछा करने/नियंत्रित करने के लिए उपचारी कार्रवाई करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

17.14 द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्रम ब्यूरो ने अप्रैल, 2003 से 31 आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

का संकलन भी आरंभ कर दिया है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की जांच भी करने हेतु उपभोक्ता मामलों, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए यह सूचकांक अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

(घ) मजदूरी दर सूचकांक

17.15 द्वितीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण (1963-65) द्वारा उल्लिखित आंकड़ों के आधार पर संकलित मजदूरी दर सूचकांक आधार 1963-1965=100 के साथ एक निश्चित समय में मजदूरी दरों में पाए गए सापेक्ष परिवर्तनों को सूचित करता है । ये सूचकांक तीन क्षेत्रों में 21 चयनित उद्योगों में श्रमिकों के लिए संकलित किए जाते हैं । सम्मिलित किए गए उद्योगों का क्षेत्र वार विवरण तथा प्रत्येक क्षेत्र में कुल नियोजन के प्रति सम्मिलित श्रमिकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

क्षेत्र	उद्योगों की संख्या	क्षेत्र में कुल नियोजन के प्रति सम्मिलित श्रमिकों का प्रतिशत
विनिर्माण	14	67
बागान	3	100
खान	4	95

17.16 मजदूरी दर सूचकांक का संकलन मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते पर आंकड़ों का प्रयोग करके किया जाता है जो कि भारत में संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रत्याभूत तथा नियमित प्रकृति के उपार्जन है । मजदूरी दर सूचकांक का वर्ष 2001 तक संकलन किया जा चुका है तथा वर्ष 2001 के सूचकांक का संकलन प्रगति पर है। चयनित 21 उद्योगों में मजदूरी दर सूचकांक, निरपेक्ष मजदूरी दर तथा वास्तविक मजदूरी दर (1960 के मूल्यों पर) सूचना तालिका 17.3 में दी गई है। 34 उद्योगों में कवरेज का विस्तार करके सहित व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के पांचवें दौर के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए मजदूरी दर सूचकांक के आधार के अद्यतन का कार्य प्रगति पर है ।

(II) संवैधानिक तथा स्वैच्छिक विवरणियां

17.17 श्रम ब्यूरो, श्रम के विभिन्न पहलुओं पर श्रम आंकड़ों का संग्रहण, संकलन एवं वितरण करता है जो कि विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों के तहत विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक संवैधानिक विवरणियों तथा राज्य एवं केंद्रीय श्रम विभागों द्वारा श्रम ब्यूरो को औद्योगिक विवादों, कामबंदी, अस्थायी छंटनी तथा छंटनी से संबंधित प्रतिमाह भेजे जाने वाली स्वैच्छिक विवरणियों पर आधारित होते हैं जैसा कि तालिका 17.4 में दिया गया है :-

(III) फील्ड सर्वेक्षण तथा अध्ययन

17.18 आवधिक विवरणियों से संकलित आंकड़े श्रम के क्षेत्र में आयोजना तथा नीति निर्धारण की सूचना संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं करते इसलिए श्रम आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तर को पूरा करने के लिए ब्यूरो द्वारा नियोजन, मजदूरी एवं उपार्जन तथा अर्थव्यवस्था के संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की कार्य कारी एवं निर्वाह स्थितियों पर आवधिक/तदर्थ सर्वेक्षण आयोजित किए जाते हैं ।

(क) ग्रामीण श्रम अवेषण (आरएलई)

17.19 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण श्रम अवेषण आंकड़े पंचवर्षीय आधार पर आयोजित इसके सामान्य उपभोग व्यय एवं नियोजन तथा बेरोजगारी सर्वेक्षणों के भाग के रूप में एकत्रित किए जाते हैं । ऐसा अंतिम सर्वेक्षण वर्ष 1999-2000 से संबंधित हैं। ग्रामीण श्रम परिवारों के विभिन्न पहलुओं जैसे (i) सामान्य विशेषताओं (ii) ऋणग्रस्तता (iii) उपभोग व्यय (vi) मजदूरी एवं उपार्जन तथा (v) रोजगार एवं बेरोजगारी पर रिपोर्टें निकालने हेतु इस सर्वेक्षण की उपलब्धियों पर रिपोर्टों के संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व श्रम ब्यूरो का है। प्रथम चार ग्रामीण श्रम अवेषण (वर्ष 1999-2000) की रिपोर्टें प्रकाशित कर दी गई हैं जबकि रोजगार एवं बेरोजगारी पर रिपोर्ट शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी।

ग्रामीण श्रम अन्वेषण द्वारा एकत्रित उपभोग व्यय आंकड़ों को खेतिहर तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखलाओं के संकलन हेतु भारण आरेखा तैयार करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है ।

17.20 इस स्कीम के तहत, श्रम ब्यूरो ने नवम्बर, 2004 तक 600 प्रतिदर्श गांवों से प्रति माह नियमित आधार पर 18 खेतिहर तथा गैर खेतिहर व्यवसायों के मजदूरी दर आंकड़े भी संकलित किए हैं तथा उन्हें इंडियन लेबर जर्नल में प्रकाशित किया है । ये आंकड़े लागत अध्ययन के आयोजन तथा राष्ट्रीय /राज्य आय के आंकलन हेतु उचित नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए अत्यधिक प्रयोग किए जाते हैं । इन आंकड़ों का प्रयोग न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन की सीमा सुनिश्चित करने हेतु भी किया जाता है ।

(ख) व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण

17.21 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण वर्ष 1958-59 से आयोजित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य अन्तः और अन्तर उद्योग मजदूरी विभिन्नताओं के अध्ययन, मजदूरी दर सूचकांक के आधार के संशोधन तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु अपेक्षित आंकड़ों/सूचना उपलब्ध कराना है ।

17.22 व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का छठा चरण 2003 में आरम्भ किया गया इसमें 56 उद्योगों को शामिल किया गया । व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के इस चरण में चार सेवा क्षेत्र उद्योगों को प्रथम बार शामिल किया जा रहा है। चार सेवा क्षेत्रों अर्थात रेलवे, सार्वजनिक मोटर परिवहन, विद्युत उत्पादन एवं वितरण तथा पोत एवं गोदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रिपोर्ट लेखन का कार्य प्रगति पर है। तीन बागानों और एक चाय संसाधन उद्योग के संबंध में फील्ड सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(ग) ठेका श्रम सर्वेक्षण

17.23 ठेका श्रम सर्वेक्षण, विभिन्न उद्योग जिनमें ठेका श्रमिकों का प्रतिशत अधिक हो, में ऐसे श्रमिकों की समस्याओं की सीमा तथा उनकी प्रकृति का अध्ययन करने हेतु आयोजित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के तहत रोजगार, मजदूरी एवं उपार्जन, कार्यकारी स्थितियों, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा औद्योगिक संबंधों पर सूचना एकत्रित, विश्लेषित तथा वितरित की जाती है । 39 उद्योगों में अब तक आयोजित किए गए सभी 44 सर्वेक्षणों पर रिपोर्ट प्रकाशित की जा चुकी है। देश में वायु-परिवहन क्षेत्र में फील्ड सर्वेक्षण पूर्ण हो गया है और आंकड़ों की संक्रिया प्रगति पर है ।

(घ) श्रम के विभिन्न खण्डों का सामाजिक सर्वेक्षण

17.24 इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों तथा महिला श्रमिकों की कार्यकारी एवं निर्वाह स्थितियों पर सर्वेक्षण तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर अध्ययन आयोजित करना है। अब तक श्रम ब्यूरो ने 9 अनुसूचित जातियों, 7 अनुसूचित जनजातियों के सर्वेक्षणों तथा महिला श्रमिकों के 19 सर्वेक्षणों तथा 25 मूल्यांकन अध्ययनों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। राजस्थान में स्टोन ब्रेकिंग तथा स्टोन क्रशिंग उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है । 15 राज्यों में खाद्य प्रसंसकरण उद्योग में महिला श्रमिकों का सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है।

(ङ) उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

17.25 श्रम ब्यूरो, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1952 के अंतर्गत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण द्वारा अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्ता, रोजगार, किए गए श्रम दिवस, सामाजिक सुरक्षा हित लाभ, अर्जन, श्रम मूल्य और उत्पादन के मूल्य के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रसंसाधन और विकीर्णन के लिए जिम्मेदार है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य, अनुपस्थिति, श्रमिक परिवर्ता; अर्जन; रोजगार, श्रम मूल्य और उत्पादन के मूल्य का एक व्यवस्थित डाटा संचय तैयार करना और विनिर्माण उद्योगों में श्रमिक मूल्यों के विभिन्न घटकों का विश्लेषण करना है।

17.26 उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र को छोड़कर पूरा देश शामिल हैं । उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण की कवरेज में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2ङ (i) और 2ङ (ii) के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों ओर बीड़ी एवं सिगार कामगार (रोजगार की सेवा शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत बीड़ी और सिगार विनिर्माण प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, ढांचे में आने वाले कारखानों को दो क्षेत्रों में विनिर्दिष्ट किया गया है अर्थात जागणना क्षेत्र और सैम्पल क्षेत्र। 2002-03 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए जागणना क्षेत्र में कम उद्योगिक रूप से विकसित 5 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों अर्थात मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले सभी कारखाने और वे कारखाने जिन्हें संयुक्त विवरणियां प्रस्तुत करने के रूप में घोषित किया है जनगणना क्षेत्र में शामिल हैं । जनगणना क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई इकाइयों को सैम्पल क्षेत्र में शामिल किय गया है।

17.27 वर्ष 2000-01 , 2001-02 और 2002-03 के लिए जागणना और प्रतिदर्श क्षेत्र के उद्योगों के लिए संयुक्त तुलानात्मक श्रमिक सांख्यिकीय आंकड़े तालिका 17.5 में दर्शाए गए हैं ।

(च) अनुसंधान

17.28 लोक सभा की प्राक्कलन समिति की 88 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर चुनिंदा समस्याओं पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से श्रम ब्यूरो में जून 1963 में एक लघु सैल का गठन किया गया । इस सैल द्वारा (i) महिला श्रम पर सांख्यिकीय प्रोफाइल; और (ii) भारतीय श्रम अनुसंधान का सार-संग्रह नामक दो प्रकाशन जारी किए गए। महिला श्रम पर सांख्यिकी प्रोफाइल प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य महिला श्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक स्थान पर उपलब्ध करवाया है। भारतीय श्रम अनुसंधान का सार-संग्रह प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित समय के दौरान श्रम के क्षेत्र में भारत में किए गए अनुसंधान कार्य से संबंधित व्याख्यात्मक संदर्भिका उपलब्ध करवाना है। 1998-2003 की अवधि के लिए आठवां संस्करण तैयार किया जा रहा है।

(IV) श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण

17.29 सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रवाह में गुणवता तथा सामयिकता में सुधार के उद्देश्य से ब्यूरों श्रम सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करता है। ब्यूरो ने 14-19 अक्तूबर 2005 में श्रम सांख्यिकी में 43वे केंद्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों ओर केंद्रीय विभागों के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किय गया । भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के परिवीक्षार्थियों के साथ-साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली द्वारा नामित अंतराष्ट्रीय सांख्यिकी, शिक्षण केंद्र, कोलकाता के विदेशी प्रतिभागियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया । महाराष्ट्र, श्रम अध्ययन

संस्थाा के प्रशिक्षणार्थियों के एक समूह को भी श्रम और मूल्य सांख्यकी में 21 ावम्बर, 2005 को श्रम ब्यूरो, शिमला में प्रशिक्षण प्रदाा किया गया। अंतराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केद्र के अधिकारियों के लिए 7-9 ावम्बर 2005 तक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । मूल्य पर्यवेक्षकों और मूल संग्रहकों के लिए मूल्य संग्रहण ओर सूचकांक स मायोजा पर शिमला में 9-13 सितम्बर, 2005 तक एक केद्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की 14वीं श्रृंखला का आयोजा किया गया । ब्यरो के काापुर क्षेत्रीय क ार्यालय ा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को प्राइमरी इकाइयों की सहायता के लिए प्रशिक्षण क ार्यक्रम आयोजित करो के लिए तकाीकी सहायता प्रदाा की ।

(v) प्रकाशा :

17.30 सांख्यिकीय आुसंधाा कार्यो, अध्ययाों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर ब्यूरो कई प्रकाशा ाकालता है । वर्ष 2005 के दौराा ाकाले गए प्रकाशाों की सूची तालिका 17.6 में दी गई है :-